न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 219–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 201/2009–10/स्वमेव निगरानी.

.....

जगदीश पुत्र छोटेलाल
निवासी ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन
2– विजय अग्रवाल, तत्कालीन नायब तहसीलदार
वृत 2 लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर
3– कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव पुत्र देवीलाल
तत्कालीन हल्का पटवारी 32
ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 शासन

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–88 को आदेश पारित कर ग्राम बरौआ नूराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 140/1 व सर्वे कमांक 142/6 रकबा 0.575 हेक्टेयर में से 0.345 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 141/6

रकबा 0.272 हेक्टेयर का भूमिस्वामी स्वत्व पर व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया। कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 06/87–88/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 3–8–88 को दिनांक 30–9–2010 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया लेकर प्रकरण क्रमांक 201/2009–10/स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 30–7–2012 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र लश्कर गिरवाई, ग्वालियर को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में शासकीय अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मय खसरे की प्रति के साथ 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाये । साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि प्रकरण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार वृत 2 लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजे जाने के लिए आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (स्थापना) की ओर भेजी जावे तथा संबंधित पटवारी के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र लश्कर गिरवाई, ग्वालियर को भेजी जावे । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार जारी किया गया है, और प्रकरण में साक्ष्य ली गई है तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं । यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार के प्रकरण में वर्ष 1983–84 का खसरा संलग्न है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज है, अतः कलेक्टर द्वारा वर्ष 1986 से आवेदक का कब्जा होने संबंधी निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पारित आदेश को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण के पृष्ठ 4 पर इश्तहार की प्रति संलग्न है । उक्त इश्तहार दिनांक 2–3–88 को जारी किया गया है, और प्रकरण में दिनांक 11–4–88 की तिथि नियत है । उक्त इश्तहार दिनांक 7–4–88 को तामील उपरांत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इश्तहार किस दिनांक को चस्पा किया गया है, इसकी कोई तिथि अंकित नहीं है । यदि इश्तहार दिनांक 7–4–88 को चस्पा किया जाना मान्य किया जाये, तब 4 दिन की अल्प अवधि में आपत्ति प्रस्तुत की जाना व्यवहारिक नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 7–3–88 को पंजीबद्ध किया गया है, जबकि इश्तहार प्रकाशन हेतु दिनांक 2–3–88 को 5 दिन पूर्व ही जारी कर दिया गया है, जो कि स्पष्टतः संदिग्ध है । उक्त आदेशिका पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर भी नहीं है । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा इश्तहार प्रकाशन की प्रकिया का सही रूप में पालन नहीं किया गया है । नायब तहसीलदार के समक्ष गवाहों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 15–20 वर्षों से आवेदक का अतिक्रमण होना बताया गया है, परन्तु प्रकरण में कोई भी लेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अतः आवेदक का लम्बे समय से कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में वर्ष 1986–87 का खसरा संलग्न है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज है, अतः लम्बे समय से आवेदक का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर होना भी प्रमाणित नहीं है । नायब तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित करने के पूर्व स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है, अतः स्पष्टतः नायब तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित करने में गंभीर अनियमितताएं की गई है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त निष्कर्षों के साथ ही कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 3–6–88 निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया गया है, और तहसील न्यायालय के प्रकरण में वर्ष 1983–84 का खसरा संलग्न है, अतः कलेक्टर का वर्ष 1986 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होने संबंधी निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विहित प्रकिया का पालन कर इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है, और

आवेदक की ओर से साक्ष्य में 15–20 वर्षों से कब्जा होना बतलाया गया है, जिसके संबंध में कोई भी लेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । उनका यह तर्क भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, अतः कलेक्टर को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, परन्तु चूंकि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 50 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा न्याय दृष्टांत 2012 आर.एन. 256 फुल्लासिंह विरूद्ध नरेंद्र सिंह तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध यदि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाती है, तब राजस्व मण्डल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जायेगा । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 50 का उल्लेख करने से कलेक्टर के स्वप्रेरणा से निगरानी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत भी स्वप्रेरणा से निगरानी का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर